न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–202/2014 (2014/00102)223/दूदू

1. रामचन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी चाण्चुक्या, महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. छोगा
2. सुजा पुत्रान भागीरथ जाति जाट निवासी ग्राम चाणचुक्या तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. मैनेजर, जयपर नागौर आंचलिक ग्रामिण बैंक, महलां, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
5. श्रीमती लाली देवी धर्मपत्नी सीताराम चौधरी जाति जाट निवासी चाणचुक्या, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2013, वाद संख्या 119/2010

उपस्थितः–

1. श्री हरीश साहू एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री कैलाश जाट एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट 1/1से 1/3, 2व 5की ओर से।
3. श्रीधर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 30/10/2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2013, वाद संख्या 119/2010 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 आपस में सगें भाई है एवं वर्तमान में अलहदा–अलहदा निवास कर रहे है। आराजी खतौनी संख्या 16 के आराजी खसरा नम्बर 178, 484लगायत 493, 505, 506, 512 कुल किता 14 कुल रकबा 4.67 है. एवं खतौनी संख्या 17 के आराजी खसरा नम्बर 500 लगायत 504, 507, 581, 584, 585, 601, 604, 640/580, 634/587, 644/591, 647/597, 648/600 कुल किता 17 कुल रकबा 3.42 है0 वाकै ग्राम चाणचुक्या तहसील मौजमाबाद में स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर–बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3–1/3, 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है व लगान सरकारी अदा करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आ रहे है। विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 488, 487 महलां से चाणचुक्या जाने वाली सड़क पर स्थित है। विवादित आराजी में से उक्त दोनो आराजी में समान हिस्सा कायम करके आपस में वादी व प्रतिवादीगण काबिज हो गये एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 1/3 हिस्सा की भूमि पर दोनो पुत्रों के लिए अलग मकान बने रखें है एवं वाद व प्रतिवादी संख्या 02 की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 01के मन में बेईमानी आ गयी है और सड़क सीमा से लगती आराजी अपने हिस्से की भूमि में मकान बना लेने के बावजूद शेष भूमि को विक्रय करना चाहता है जबकि मौके पर अभी विधिवत तकासमा नहीं हुआ है फिर भी विक्रय करने पर आमादा है। वादी को बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण करने एवं विक्रय करने से मना कर दिया तो दिनांक 20.06.2010 को झगड़ा करने पर आमादा हो गये और जबरन लाठी के जोर पर प्रतिवादी संख्या 02 को भी अपने साथ कर लिया और वादी को उसके हिस्से से महरूम करने के लिए साजिशी तौर आराजी को हड़पने पर आमादा है इसलिए प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलबी प्रतिवादीगण जारी कर प्रकरण में सुनवाई करते हुए प्रकरणको दिनांक 02.07.2012 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रसत आराजी वाकै ग्राम चाणचुक्या तहसील मौजमाबाद का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 2 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाण्ड्स या यदि सहमति हो तो सहमति अनुसार तकासमा किया जाकर तहसीलदार, मौजमाबाद को नक्शें कुरेजात तैयार कर भिजवाये हेतु लिखा गया। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात दिनांक 03.09.2012 को तहसीलदार, मौजमाबाद ने नक्शा कुरेजात तैयार कर पेश किये, नक्शें कुरेजात का वादी द्वारा अवलोकन करने पर मुताबिक वाद के चाहे अनुसार कुरेजात तैयार नहीं होने से वादी ने प्रकरण में नक्शें कुरेजात पर आपत्ति पेश कर दी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.01.2013 को प्रकरण में पुनः नक्शें कुरेजात तहसीलदार, मौजमबाद की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाने हेंतु लिखा गया। इसके पश्चात प्रकरण में तारीखे पड़ती रही लेकिन पुनः नक्शें कुरेजात तैयार होकर प्राप्त नहीं हुए इसके बावजूद भी न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2012 क आधार पर प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2013 को पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 9.04.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 2, 5 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा जो नक्शें कुरेजात मंगवाये गये थे उन पर वादी ने आपत्ति लगायी थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार, मौजमाबाद की उपस्थिति में नक्शें कुरेजात मंगवाये जाने के आदेश दिये गये परन्तु मुताबिक न्यायालय आदेश तहसीलदार, मौके पर नहीं गया न ही पक्षकारान की उपस्थिति में नक्शें कुरेजात तैयार करवाये गये, रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साजकर अपनी मनमर्जी से कुरेजात तैयार करवा कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये, अपीलांट द्वारा उक्त नक्शे कुरेजात पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर दी, न्यायालय ने अपने द्वारा दिये गये आदेश की पालना नही कर गलत रूप से अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलांट धार्मिक प्रवृति का व्यक्ति है जो धार्मिक यात्राओं में व्यस्त रहा तथा काफी समय से साधू–सन्तो की शौहबत में रहा है भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहा, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कभी भी जानकारी नही रही। अभी हाल ही में रेस्पोडेन्टस ने अपीलार्थीगण को मौके पर विवादित आराज पर आकर धमकी दी कि उक्त आराजी की रोड़ के लगवा हमने तकासमा करवा लिया है तथा रिकार्ड में भी दर्ज हो चुकी है जिसके आधार पर हने विवादित आराजी मे कुछ जमीन का रेस्पोडेन्टस संख्या 05 को बैचान भी कर दिया है जो तुम्हे अब शीघ्र ही बेदखल करेगें। रेस्पोडेन्टस द्वारा धमकी देने पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुयी। जिस पर अपीलार्थी ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त कर अवलिम्ब उक्त अपील पेश की जा रही है तथापित देरी के शमन हेतु अलग से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जावें तथा अपील श्रवणार्थ ग्रहण फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावें तथा अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4, 2, 5 ने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात तहसीलदार, मौजमाबाद से विवादित आराजी बाबत् नक्शें कुरेजात तैयार करने के पश्चात ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है तथा आराजी खसरा नम्बर 497 व 498 विवातिद आराजीयात न होकर खातेदार छीतर पुत्र महादेव जाति जाट के नाम है जिससे पक्षकारान का कोई लेना देना नहीं है वादी ने जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने व प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से उक्त तथ्य अंकित कर झूंठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की अनियमता नही हैं इसलिए न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।
6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की गई बहस पर मनन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण हैं एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2012 प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के आधार पर पारित की है। यदि अपीलांट/वादीगण को तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 30.07.2012 से कोई आपत्ति थी तो उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाना चाहिये था किन्तु वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्तुत पर आपत्ति जाहिर नहीं कर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर नहीं करना स्वीकारोक्ति ही मानी जावेगी। हम

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2013 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। उपराक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2013 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

30/10/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 30/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

30/10/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर